न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
प्रार्थना –पत्र नम्बर 38/2024
प्रार्थना – पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आरटीए

बाबू सिह पुत्र श्री ज्वाला सिह जाति कुम्हार निवासी रासूवाला तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़ प्रार्थीगण

बनाम

1. मेजर सिह पुत्र ज्वाल सिह जाति कुम्हार (प्रजापति) निवासी रासूवाला तहसील संगरिया।
2. तहसीलदार राजस्व संगरिया अप्रार्थीगण

–:आदेश:–

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क (1) आर.टी.एक्ट के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 7 पीटीपी पटवार हल्का इन्द्रगढ जमाबन्दी सम्वत् 2071––2074 खाता संख्या 100/83 एकल खाता बाबु सिंह में पत्थर नं. 129/134 मु. नं. 47 किला नं. 1/0.253, 10/0.253, 11/2/0.025 कुल 0.531 हैक्ट कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रमाणित प्रतिलिपि राजस्व रिकार्ड की प्रति संलग्न है। अप्रार्थी संख्या 1 के नाम से तहसील संगरिया के चक नं. 7 पीटीपी पटवार हल्का इन्द्रगढ जमाबन्दी सम्वत 2071–2074 खाता संख्या 114/97 एकल खाता मेजर सिंह में पत्थर नं. 129/134 मु.नं. 47 किला नं. 11/1/0.228, 20/0.253, 21/0.253, 22/1/0.177 कुल 0.9110 हैक्ट नहरी कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। प्रार्थी व अप्रार्थी का उक्त कृषि भूमि में पूर्व में संयुक्त खाता था जिसका प्रार्थी व अप्रार्थी ने आपस में अच्छी मन्दी के हिसाब से घरू बंटवारा कर लिया। मुताबिक घरू बंटवारा के प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा समस्त कृषि भूमि में आवागमन के लिये रास्ता हेतु अप्रार्थी की कृषि भूमि पं.नं. 129/134 मु.नं. 47 के किला नं. 11, 20, 21 में 12 फुट चौडा रास्ता सहमति से छोडा गया था जिससे प्रार्थी अपने खेत में आवागमन करता रहा है। यहां यह उल्लेखित किया जाना भी आवश्यक है कि प्रार्थी व अप्रार्थी के पास पूर्व में 1.227 हैक्ट कृषि भूमि थी जिसमें चक नं. 9 पीटीपी के खाता में रास्ता खाला था। प्रार्थी के हिस्सा में उक्त रास्ता खाला की कृषि भूमि अधिक आई जिस कारण अप्रार्थी द्वारा यह सहमति दी गई कि वह अपने मुरबा नं. 47 के किला नं. 11, 20, 21 में प्रार्थी को 12 फुट चौडा रास्ता देगा। उक्त सहमति स्वरूप अप्रार्थी को अधिक कृषि भूमि दी गई। प्रार्थी व अप्रार्थी द्वारा पूर्व में स्नेह वंश कृषि भूमि को गैर मु. में दर्ज नहीं करवाया। प्रार्थी द्वारा पूर्व में उक्त रास्ता की कृषि भूमि के बदले अप्रार्थी को कृषि भूमि दी जा चुकी है। राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता दर्ज न होने के कारण प्रार्थी के विधिक अधिकारों पर विपरित प्रभाव पड़ रहा है। अब अप्रार्थी अपने पूर्ववर्ती आचरण के विपरित कार्य करते हुए प्रार्थी की कृषि भूमि में आवागमन के रास्ता में अवरोध पैदा करने हेतु प्रयासरत है तथा मौका पर चल रहे रास्ता में अवरोध पैदा कर रहा है जिससे प्रार्थी के खेत में सही प्रकार से आवागमन नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थिति में प्रार्थी राजस्व रिकॉर्ड में गैर मु. रास्ता स्वीकृत करवाना चाहता है। प्रार्थी प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 4 में वर्णित रास्ता को स्वीकृत करवाने का अधिकारी व दावेदार है। यह कि प्रार्थी ने अप्रार्थी से निवेदन किया कि वे चलकर चक नं. 7 पीटीपी मुरबा नं. 47 के किला नं. 11, 20, 21 में प्रार्थी को 12 फुट चौडा रास्ता राजस्व

उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

रेकॉर्ड में स्वीकृत करवा देवें पहले तो अप्रार्थी आजकल आजकल करता रहा अंत में ऐसा करने से कतई इनकार कर दिया यही वाद कारण है।

लिहाजा प्रार्थना पत्र मय शपथ प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थी के खेत में आवागमन हेतु चक नं. 7 पीटीपी मुरबा नं. 47 के किला नं. 11, 20, 21 में प्रार्थी को 12 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत किये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रार्थना–पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 बावजूद सूचना उपस्थित नही आया। इस कार्यालय द्वारा तहसीलदार संगरिया से उक्त रास्ता के प्रकरण को सही रूप से निस्तारण करने एवं मौका की जांच रिपोर्ट चाही जाने पर उन्होने अपने पत्र क्रमांक 1915 दिनांक 07.08.2025 द्वारा प.न. 129/134 मु.न. 47 के किला नं. 11,20,21 में रास्ता दिया जाना व प्रार्थी के पास आवेदित रास्ते के अलावा कोई विकल्प नही होना एवं पक्षकार आपस मे सहमत नही होना तथा प्रार्थी को रास्ता अत्यधिक आवश्यकता होना बतलाते हुए रास्ता स्वीकृत किये जाने की अनुशंषा करते हुए अपनी रिपोर्ट भिजवाई गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजो व अधिवक्ता प्रार्थी की बहस एवं तहसीलदार से प्राप्त रिपोर्ट आदि का अवलोकन/मनन किया गया, मुताबिक रिपोर्ट प्रार्थी को रास्ता की अत्याधिक आवश्यकता है, रास्ता की मांग सुविधा के लिये नही की जा रही है जबकि आवश्यकता होने पर स्वीकृत करवाना चाहता है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थना–पत्र प्रार्थी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम धारा 251 ए के प्रार्थना पत्र के निस्तारण हेतु "रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता" एवं वैकल्पिक रास्ते का अभाव पर विचारण किया गया। रिपोर्ट तहसीलदार से स्पष्टतया प्रकट होती है कि प्रार्थी की कृषि भूमि में काश्त करने बाबत जाने हेतु मन्जूर शुद्वा रास्ते का अभाव होने से रास्ते की आत्यंतिक आवश्कता है। अतः यह रास्ता सुविधा के लिए नहीं अपितु आत्यंधिक आवश्यकता के लिए है। अतः न्यायहित में प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीए में अप्रार्थी के रकबा में से चक 7 पीटीपी प.न. 129/134 मु.न. 47 किला नं. 11,20,21 प्रत्येक में 12 फुट चौडा रास्ता स्वीकृत किया जाता है और इसके बदले में प्रार्थी का उक्तानुसार रकबा जिससे अप्रार्थी को खेत खराब न हो इसलिए प.न. 129/134 मु.न. 47 किला नं. 10 से कम कर अप्रार्थी के किला नम्बर 11 के चिपंता नाम दर्ज किये जाने के आदेश जाते है। अप्रार्थी को उक्त रकबा का उक्तानुसार कब्जा दिलवाया जाकर भू.अ.निरीक्षक/हल्का पटवारी की उपस्थिति में रास्ता चालू करवाया जाना सुनिश्चित करे। तहसीलदार संगरिया को इस बाबत पालनार्थ लिखा जावें। पत्रावली फैसला शुमार होकर दाखिल दफतर की जावें।

निर्णय आज दिनांक 6.3.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(जय कौशिक)
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

उपखण्ड अधिकारी संगरिया जिला हनुमानगढ़